न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

1. कमलादेवी पत्नि प्रभूराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
2. श्रवणीदेवी पत्नि गोविन्दराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ईमामुदीन पुत्र भूरा जाति मुसलमान निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
2. कजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
3. तुलछाराम पुत्र मंगला जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
4. भवानाराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
5. मेघाराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
6. रामादेवी पत्नि हरिप्रसाद जाति मेघवाल निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
7. सुखाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
8. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मारोठ तहसील नावा।
9. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा रेनवाल।
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां तहसील नावां।

<u>दावा वास्ते भू–विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–   श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः 60/2023   निर्णय दिनांकः– 09.10.2023

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम नोलासिया पटवार हल्का शिम्भूपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 480/8 रकबा 6.6175 हैक्टर, खसरा नम्बर 481/8 रकबा 0.1625 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.25 हैक्टर कुल रकबा 11.73 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसकी नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये। उपरोक्त वर्णित खसरा आराजीयात भूमि में से 100/1173 हिस्से की अर्थात् 1.00 हैक्टर भूमि की वादीया कमलादेवी व 100/1173 हिस्से की अर्थात् 1.00 हैक्टर भूमि की वादीया श्रवणीदेवी काबिज खातेदार कृषिकाऐं चली आ रही है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति, सौहलियत एवं सुविधा अनुसार काफी वर्षों पूर्व से ही [illegible] चली आ रही है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का भौतिक बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर सीव माठ डोल कायम कर रखी है तथा [illegible] भौतिक [illegible] द्वारा वादीया कमलादेवी की 1.00 हैक्टर भूमि मौके पर खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 [illegible] भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.00 हैक्टर भूमि वादीया कमलादेवी के कब्जे काश्त में एवं वादीया श्रवणीदेवी के 1.00 हैक्टर भूमि मौके पर खसरा नम्बर 21 में से पश्चिमी तरफ की 1.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

हैक्टर भूमि वादीया श्रवणी देवी के कब्जे काश्त एवं बंट में चली आ रही है इस प्रकार खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि में पूर्वी तरफ की 1.00 हैक्टर भूमि वादीया कमलादेवी के बंट व कब्जे काश्त में एवं पश्चिमी तरफ की 1.00 हैक्टर भूमि वादीया श्रवणीदेवी के बंट व कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा शेष खसरान की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा इसी माफिक भौतिक बंटवारा वादीगण काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है जबकि मौके पर उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य काफी वर्षों पूर्व से ही भौतिक बंटवारा कायम चला आ रहा हैं। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज होने से वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है तथा काफी असुविधा हो रही है। उक्त भूमि वादीगण ने अभी हाल में प्रतिवादीगण को माफिक भौतिक बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में भू–विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इतने दिन तो आश्वासन देते रहे तथा अभी प्रतिवादीगण ने भू–विभाजन करवाने से इंकार कर दिया। इसलिए वादीगण ने माफिक भौतिक बंटवारा अपने हक हिस्से की भूमि का भू विभाजन करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व ग्राम नोलासिया पटवार हल्का शिम्भूपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 480/8 रकबा 6.6175 हैक्टर, खसरा नम्बर 481/8 रकबा 0.1625 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.25 हैक्टर कुल रकबा 11.73 हैक्टर भूमि में से वादीया कमलादेवी के 100/1173 हिस्से की अर्थात् 1.00 हैक्टर भूमि जो माफिक भौतिक बंटवारा खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर भूमि में से पूर्वी तरफ की नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए स्थान की भूमि स्थित है तथा वादीया श्रवणीदेवी के 100/1173 हिस्से की अर्थात् 1.00 हैक्टर भूमि जो माफिक भौतिक बंटवारा खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर भूमि में से पश्चिमी तरफ की नजरी नक्शे में दर्शित मार्क बी स्थान की भूमि स्थित है इस आशय की भू विभाजन की डिक्री की जाकर नजरी नक्शा अनुसार वादीगण की भूमि की सेपरेट होल्डिंग कायम किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 11 जुलाई 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9, 10 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया कमलादेवी, पी.डब्ल्यू.2 वादीया श्रवणीदेवी, पी.डब्ल्यू. 3 गवाह लालाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां, पी.डब्ल्यू.4 गवाह पोकरराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्रस्तुत होने पर प्राथमिक डिक्री निर्णय जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम नोलासिया पटवार हल्का शिम्भूपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 480/8 रकबा 6.6175 हैक्टर, खसरा नम्बर 481/8 रकबा 0.1625 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.25 हैक्टर कुल रकबा 11.73 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादीया कमलादेवी व वादीया श्रवणीदेवी की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम नोलासिया पटवार हल्का शिम्भूपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 480/8 रकबा 6.6175 हैक्टर, खसरा नम्बर 481/8 रकबा 0.1625 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.25 हैक्टर कुल रकबा 11.73 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया कमलादेवी व वादीया श्रवणीदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:13 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

1. कमलादेवी पत्नि प्रभूराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
2. श्रवणीदेवी पत्नि गोविन्दराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. ईमामुदीन पुत्र भूरा जाति मुसलमान निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
2. कजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
3. तुलछाराम पुत्र मंगला जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
4. भवानाराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
5. मेघाराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
6. रामादेवी पत्नि हरिप्रसाद जाति मेघवाल निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
7. सुखाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी शिम्भूपुरा तहसील नावां।
8. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मारोठ तहसील नावा।
9. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा रेनवाल।
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 60 / 2023

निर्णय दिनांक :— 09.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम नोलासिया पटवार हल्का शिम्भूपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 / 8 रकबा 6.6175 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 / 8 रकबा 0.1625 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.25 हैक्टर कुल रकबा 11.73 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया कमलादेवी व वादीया श्रवणीदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी डीडवाना-कुचामन)

दस्तखतः (हस्ताक्षर)

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीलान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena

Date: 2024.02.02 16:05:13 IST

Reason: SelfAttested